राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

दिनांकः–03.09.2013

क्रमांकः– एफ•2 (ग) ए.सी.पी. / 1992–II / अलेसे– I / 4180–4185

कार्यालय आदेश संख्या 210/2013–14

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11 (7) एफडी / रूल्स / 2008 / दिनांक 12.9.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–14 (88)एफडी(नियम) 2008– I दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारियों जिन्होंने लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा जिन्होने 18 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से लेखाकार के पद का द्वितीय ए.सी.पी. पी.बी.–2, 9300–34800 पे–बैण्ड एवं ग्रेड–पे 4800 स्वीकृत किया जाता है एवं वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के पत्रांक प.14 (88) वित्त (नियम) 2008 जयपुर, दिनांक 05.07.2013 के अनुसरण मे दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड–पे 5400 स्वीकृत किया जाता है:–

क्र.स.	नाम सहायक लेखाधिकारी (सर्वश्री)	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	ए.सी.पी. स्वीकृति दि0	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	हंसराज गुप्ता	01.07.1964	15.05.1995	15.05.2013	
2.	चेतन कुमार शर्मा	15.10.1971	22.02.1995	22.02.2013	
3.	नरेन्द्र कुमार तातेड़	01.07.1966	09.01.1995	09.01.2013	

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14 (88) एफडी (नियम) 2008– I दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तो के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारियों के वांछित वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त / नियम / 08 दिनांक 27.07.12 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर गत 9 में से 7 वर्षों की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन मे प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे मे निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारियों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.08 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ–14 (88) एफडी (नियम) 2008– I दिनांक 31.12.09 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारियों की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे–ग्रेड 4200 में वेतन प्राप्त कर रहे है तथा एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।

निदेशक

दिनांकः–03.09.2013

क्रमांकः– एफ•2 (ग) ए.सी.पी. / 1992–II / अलेसे– I / 4180–4185

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष..........................
2. श्री..........................सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय..........................
....
3. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
4. निजी पत्रावली / गार्ड फाईल / गोपनीय अनुभाग / कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक– I)